झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 40 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सुमित्रा देवी, एवं अन्य कार्डधारी, ग्राम - कररकट्टा, पो० - जोगा, थाना - ऊँटारी रोड, पलामू

DISPOSED 18/07/2022

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	परिवादी श्रीमती सुमित्रा देवी एवं अन्य, ग्राम–करकट्टा, पो0–जोगा, थाना–ऊँटारी रोड, जिला–पलामू का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा जारी वाट्सएप्प नं0 पर दिनांक–01.02.2022 को प्राप्त हुआ है। जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा राशन डीलर, जागृति SHG, ज्योति महिला समूह, ऊँटारी रोड एवं गंगा मिलन महिला स्वयं सहायता समूह के विरूद्ध कम राशन दिये जाने, PMGKAY का राशन नहीं दिये जाने, किरासन तेल नहीं देने एवं अभद्र व्यवहार किये जाने का आरोप लगाया गया है। आयोग के पत्रांक–WA/058/2022 दिनांक–01.02.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को भी अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, जिसकी सूचना आयोग को अब तक अप्राप्त है। दिनांक–18.07.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद–पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक–18.07.2022 को किया जाए। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है। अभिलेख दिनांक–18.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\Anju\Desktop\Court note.docx11	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्त
18.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। वाद सं0–21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 के मामले में आज दिनांक–18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद सं0–21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 एक ही डीलर से सम्बन्धित होने एवं शिकायत का प्रकार भी एक ही होने के कारण, तीनों वाद की सुनवाई एक साथ की गई। तीनों अभिलेख/वाद में इसी आदेश को अंतिम आदेश माना जाएगा। परिवादी की ओर से मात्र श्री उपेन्द्र कुशवाहा उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू, सम्बन्धित पणन पदाधिकारी एवं जनवितरण प्रणाली वितरक उपस्थित हैं। परिवादी का कहना है कि डीलर द्वारा कम राशन दिया जाता है, इसलिए वे राशन का उठाव नहीं करते हैं। उनका यह भी कहना है कि परिवाद दायर करने के बाद उनका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा भूतपूर्व मुखिया हैं एवं जाँच में पाया गया कि ये राशन कार्ड के लिए अहर्त्ता नहीं रखते हैं, इसलिए इनका राशन कार्ड रद्द किया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि आयोग के गत आदेश के अनुपालन में परिवादियों को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा स्वयं भी अनाज नहीं उठाते हैं और ग्रामिणों को भी इस हेतु प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य 1.25 गुणा मुआवजा राशि प्राप्त करना एवं कराना है। उभय पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आयोग के गत आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। जहाँ तक श्री उपेन्द कुशवाहा के राशन कार्ड रद्द किए जाने का प्रश्न है, यदि श्री कुशवाहा राशन कार्ड पाने की अहर्त्ता रखते हैं, तो इस आशय का परिवाद सक्षम प्राधिकार में दायर कर सकते हैं। इस मामले की गहनता से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि कई–कई माह का राशन नहीं मिलने का शिकायत किया गया। यदि किसी एक माह का भी राशन नहीं मिले तो तुरंत पणन पदाधिकारी को शिकायत करना चाहिए। साथ ही **"एक राष्ट्र एक राशन कार्ड"** योजना के लाभ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कई–कई महिनों का राशन नहीं मिलने के परिवाद के सुनवाई के दौरान इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Chairman's visit\Palamu\Commission's order.docx7